न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

प्र0क0 विविध – 3499/2018/जबलपुर/भू.रा. जिला – जबलपुर

शिवदास आत्मज दीना गोंड
निवासी सा. खेरी वार्ड नं. 10 शहपुरा
तहसील शहपुरा जिला जबलपुर ——— आवेदक

विरूद्ध

1. शैलेन्द्र सिंह आत्मज कृपालसिंह
   सा. खैरी वार्ड नं. 10 शहपुरा
   तहसील शहपुरा जिला जबलपुर

2 म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ——— अनावेदकगण

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 761–एक/16 में पारित आदेश दिनाक 4–3–16 की शर्त कमांक 3 को विलोपित किए जाने बावत ।)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक निगरानी 761–एक/16 में दिनांक 4–3–16 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की गई है ।
2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।
3. यहकि, विक्रयपत्र के निष्पादन की अवधि को आवेदक द्वारा प्रस्तुत विविध प्रकरण कमांक 9065–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 5–9–16 द्वारा 3 माह के लिए बढाया गया था पुनः उक्त अवधि को प्रकरण कमांक विविध 9012–एक/17 में पारित आदेश दिनांक 16–1–17 द्वारा 4 माह के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - विविध/3499/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.7.18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उन्हें इस न्यायालय द्वारा निग0 प्र0क्र0 761-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-3-16 को शर्तों के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । इस अवधि को बाद में न्यायालय द्वारा क्रमशः 3 और फिर 4 माह के लिए बढ़ाया गया था । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक उक्त अवधि में तथा उसके उपरांत कई बार उप पंजीयक के समक्ष आवेदित भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उनके द्वारा पूर्व की भांति कहा गया कि क्रेता द्वारा गाइड लाइन से दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा दुगनी राशि अदा करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है उक्त कारण से इस न्यायालय द्वारा दी गई अवधि पूर्व में समाप्त हो चुकी है । उनके द्वारा यह भी बताया या कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि वापिस किए जाने की मांग की जा रही है, जबकि आवेदक प्राप्त की गई अग्रिम राशि को वापिस देने की स्थिति में नहीं है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रस्तावित क्रेता द्वारा भूमि क्रय करने से इंकार के कारण आवेदक द्वारा अन्य गैर आदिवासी श्री राहुल गाला पिता श्री हरीश कुमार गाला को भूमि विक्रय करने हेतु अनुबंध किया गया है, इस संबंध में उनके द्वारा अपना स्वयं का, अनावेदक शैलेन्द्रसिंह का एवं प्रस्तावित क्रेता राहुल गाला के शपथपत्र पेश करते हुए अनावदक के स्थान पर श्री राहुल गाला को आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4-3-16 को पारित आदेश में विक्रयपत्र निष्पादन हेतु दी गई अवधि संबंधी शर्त क्रमांक 3 को विलोपित किये जाने अथवा 4 माह का समय विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया	

3

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

गया है । प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार के उपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा निगरानी क्रमांक 761-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 4-3-16 के अनुक्रम में आवेदक को गैर आदिवासी अनावेदक शैलेन्द्रसिंह के स्थान पर गैर आदिवासी श्री राहुल गाला पुत्र श्री हरीश कुमार गाला को आवेदित भूमि को विक्रय करने की अनुमति दी जाती है तथा विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु शर्त क्रमांक 3 में दी गई अवधि को आज दिनांक से 3 माह के लिए और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

प्रशासकीय सदस्य